| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 12-5-16 | वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली दि० 8-5-16 को राजस्व कैम्प तलावडा पर लोक अदालत में पेश हो।<br>श्रीमान् S.D.O. सा० भ्रमण पर हैं।<br>रीडर | |
| नि० मोल्या<br>फतेहसिंह<br>लहरी<br>कजोड़ीलाल | 8-5-16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प तलावडा पर पेश हुई। वादिया की ओर से उनके पति ~~फतेहसिंह~~ कजोड़ीलाल मीना तथा प्रतिवादी मोल्या, फतेहसिंह, लहरी उपस्थित हुए। पक्षकारों ने राजीनामा पेश किया। राजीनामे में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि प्रतिवादीगण वादीगण को उनकी खातेदारी की भूमि ख०नं० 160/385 0.14, 165 में रकबा 23 एयर, 169 रकबा 39 एयर ख०नं० 161 रकबा 46 एयर के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग में वादिया सं० 1 को तथा ख०नं० 416/165 रकबा 22 एयर व 170 रकबा 3 एयर ग्राम खौलाई के उपयोग उपभोग में वादिया सं० 2 को कोई मजाहमत नहीं करेंगे। इसी अनुसार दावे का निर्णय कर दिया जावे।<br>प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वाद का निर्णय राजीनामे अनुसार किया जाता है व वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी<br>(रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी<br>(मुनिदेव यादव) लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उपखण्ड कलेक्टर | |

# न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
# पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट तलावडा

**पीठासीन अधिकारीः— मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.**

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
| --- | --- | --- |
| 124/2014 | 20.10.2014 | 8.6.2016 |

1. शीला देवी पत्नी बत्तीलाल, मीना निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. शांति देवी पुत्री सुखदेव, मीना निवासी मोरपा तह0 बामनवास —वादीगण

**बनाम**

1. मिश्रीलाल पुत्र नामालूम गुर्जर निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी मृतक
2. मोत्या देवी पत्नी मिश्रीलाल गुर्जर निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
3. फतेह सिंह पुत्र मिश्रीलाल गुर्जर निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
4. लहरी पुत्र सुरजन गुर्जर निवासी बाढ कोटरी तह0 गंगापुर सिटी
5. बत्तीलाल पुत्र विशन्या, मीना निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. मु0 मंगडी बेबा विशन्या, मीना निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी मृतक

—प्रतिवादीगण

## दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्रीमति मोत्या देवी, फतेहसिंह, लहरी प्रतिवादीगण

## निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादिया संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हॉल ख0न0 160/385 रकबा 14 एयर, ख0न0 165 रकबा 45 एयर, ख0न0 169 रकबा 39 एयर, ख0न0 170 रकबा 3 एयर कुल रकबा 1.01 हेक्टर तथा ख0न0 161 रकबा 46 एयर हिस्सा 1/2 ग्राम खोलाई मे स्थित है। वादिया संख्या 1 ने ख0न0 165 ने रकबा 45 एयर मे से 22 एयर व ख0न0 170 रकबा 3 एयर वादिया संख्या 2 को विक्रय कर दिया है। जिसका नामान्तकरण संख्या 180 दिनांक 27.8.11 वादिया संख्या 2 के हक में खुल चुका है। जिसके नवीन नम्बर 414/165 है। दोनो वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। इस कारण भूमि शामिल मे काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादीगण का इस भूमि से कोई वास्ता नही है। दिनांक 27.8.14 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकाते हुए कहा कि आइंदा इस खेत पर नही आना वरना ठीक नही होगा इस खेत पर अब हम काश्त करेगे। प्रतिवादीगण गुर्जर जाति के व्यक्ति है। वादीगण विकलांग व महिला है। प्रतिवादीगण को जब तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही कर दिया जावेगा तब तक वे अपनी हरकतो से बाज नही आवेगे। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 भूमि के सहखातेदार है किन्तु वे वादीगण के साथ दावा दायर करने को तैयार नही हुए है इसलिए उन्हे प्रफार्मा पक्षकार बनाया गया है। दावे में इनके खिलाफ कोई रिलिफ नही चाही है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिकी किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादिया संख्या 1 को उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 160/385 रकबा 14 एयर, ख0न0 165 रकबा 45 एयर मे से 23 एयर, ख0न0 169 रकबा 39 एयर व ख0न0 161 रकबा 46 एयर के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग में तथा वादिया संख्या

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

2 को उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 414/165 रकबा 22 एयर, ख0न0 170 रकबा 3 एयर के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजामहत ना तो स्वयं पैदा करे और ना किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया ।

प्रतिवादी न0 2 व 3 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि वादीगण ने दावा पूर्णत काल्पनिक बेबुनियाद एवं आधारहीन तथ्यो पर दर्ज किया है। सही बात यह है कि ख0न0 124 व 162 रकबा 1.78 हेक्टर ग्राम खोलाई प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। इसका सीमाज्ञान प्रतिवादीगण ने करवाया उसी अनुसार प्रतिवादीगण अपनी भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से वादीगण ने यह झूठा दावा प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण ने जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 मृतक मिश्रीलाल को पक्षकार बनाया है जबकि उसकी मृत्यु चार वर्ष पूर्व ही हो चुकी है। इसलिए वादीगण का दावा आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के तहत प्रथम दृष्टया अवेट होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

आज कैम्प कोर्ट तलावडा में प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 उपस्थित हुए। उन्होने राजीनामा इस आशय का पेश किया कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी की भूमि ख0न0 160/385 रकबा 14 एयर, 165 रकबा 23 एयर, 169 रकबा 39 एयर व ख0न0 161 रकबा 46 एयर के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग में वादिया संख्या 1 को तथा ख0न0 414/165 रकबा 22 एयर व 170 रकबा 3 एयर ग्राम खोलाई के उपयोग उपभोग में वादिया संख्या 2 को कोई मजामहत नही करेगे। इसी अनुसार दावे का निर्णय कर दिया जावे।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी न0 1, 2, 3, 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही गई है। इनमें प्रतिवादी न0 1 की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी न0 2, 3, 4 ने राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण को उनकी खातेदारी की भूमि में मजामहत नही करने हेतु अपने आप को आबद्ध किया है। फलस्वरूप वादीगण का यह वाद डिकी किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी की भूमि ख0न0 160/385 रकबा 14 एयर, 165 रकबा 23 एयर, 169 रकबा 39 एयर व ख0न0 161 रकबा 46 एयर के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग में वादिया संख्या 1 को तथा ख0न0 414/165 रकबा 22 एयर व 170 रकबा 3 एयर ग्राम खोलाई के उपयोग उपभोग में वादिया संख्या 2 को कोई मजामहत नही करे। पर्चा डिकी जारी किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2016 को कैम्प कोर्ट तलावडा में सुनाया गया ।

( मुनिदेव यादव )
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

# मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) तलावडा

**पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.**

**उनवान**

1. शीला देवी पत्नी बत्तीलाल, मीना निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. शांति देवी पुत्री सुखदेव, मीना निवासी मोरपा तह0 बामनवास ——वादीगण

**बनाम**

1. मिश्रीलाल पुत्र नामालूम गुर्जर निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी मृतक
2. मोत्या देवी पत्नी मिश्रीलाल गुर्जर निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
3. फतेह सिंह पुत्र मिश्रीलाल गुर्जर निवासी गुर्जर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
4. लहरी पुत्र सुरजन गुर्जर निवासी बाढ कोटरी तह0 गंगापुर सिटी
5. बत्तीलाल पुत्र विशन्या, मीना निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. मु0 मंगडी बेबा विशन्या, मीना निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी मृतक

——प्रतिवादीगण

**दावा स्थाई निषेधाज्ञा**

**मुकदमा नं. — 124/2014**

वादी की ओर से वादिया न0 1 के पति बत्तीलाल मीना की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी मोत्या देवी, फतेह सिंह, लहरी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 8.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर पक्षकारो के मध्य राजीनामे के अनुसार प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी की भूमि ख0न0 160/385 रकबा 14 एयर, 165 रकबा 23 एयर, 169 रकबा 39 एयर व ख0न0 161 रकबा 46 एयर के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग में वादिया संख्या 1 को तथा ख0न0 414/165 रकबा 22 एयर व 170 रकबा 3 एयर ग्राम खोलाई के उपयोग उपभोग में वादिया संख्या 2 को कोई मजामहत नही करे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 8.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

**वाद के खर्चे**

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1 वादपत्र के लिए स्टाम्प<br>2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प<br>4 .................रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय<br>6 कमिश्नर की फीस<br>7 आदेशिका की तामील | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड | | जोड | |

प्रपत्र 4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुरसिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- तलावड़ा

7

**राजीनामा प्रपत्र**

दिनांक 8-6-2016

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
गंगापुरसिटी

शीलादेवी वगैरा ........ बनाम ........ मिश्रीदेवी वगैरा

प्रकरण संख्या 124/2014 ........ अन्तर्गत धारा 188 R.T.Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री X ........ उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है कि उक्त उनवान का प्रकरण ... अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

इन प्रतिवादीगण वादीगण को उनकी खातेदारी की भूमि ख०नं० ...385 रकबा 14 एयर, 165 मे रकबा 23 एयर, 169 रकबा 39 एयर, ख०नं० 161 रकबा 46 एयर के 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग में वादिया ... करे तथा ख०नं० 414/165 रकबा 22 एयर व 170 रकबा 3 एयर ग्राम ... के उपयोग उपभोग में वादिया सं० 2 को कोई मजाहमत नहीं करेंगे। इसी अनुसार दावे का निर्णय कर दिया जावे।
अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

1. X
2. बन्नीलाल मीना
(वादिया शीला देवी की ओर)
3. ........
4. ........

प्रतिवादी पक्ष 1. नि० मोत्यादेवी
2. फतेह सिंह
3. लहरी
4. ........

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ........ (प्रधानाचार्य, राजकीय ... विद्यालय तलावड़ा ... गंगापुर)
(वादी पक्ष) नाम ........

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ........ सरोजमीना (सरपंच ग्राम पचायत तलावडा पं०स० गंगापुर सिटी (स०मा०))
(प्रतिवादी पक्ष) नाम ........

प्रार्थी / वादी बन्नीलाल मीना (वादिया नं० 1 के पति) एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी मोत्या देवी, फतेहसिंह, लहरी द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्वख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(ह० सदस्य) (रविकुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(ह० सदस्य)

(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर

2110 2६
8-6-2016
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

8

प्रपत्र–1

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

## आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान ....तलावडा....

नम्बर मुकदमा....124/2014....

उनवान मुकदमा............

शीलादेवी वगैरा बनाम मिश्रीलाल वगैरा

दावा

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

स्थान....तलावडा....

दिनांक....8-6-2016....

शीला देवी जाउ...
...मीना
8/6/016

नि॰ ...न्या देवी
फतेह सिंह
लहरी
लहरी S/o सुजान गुर्जर
नि॰ बाढकोटडी